HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5734/2026
CNR: RJHC020836172026 | URN: CRLMP / 14128U / 2026

1. Narendra Meena Son Of Shri Jainarayan Meena, Aged About 27 Years, Residence Of Gomladu Ki Dhani, Villae Bilwa, Tehsil Sanganer, District Jaipur.
2. Suraj Chaudhary Son Of Shri Gulab Singh Chaudhary, Resident Of 192/377, R H B Sector- 19, Pratap Nagar Sanganer, Jaipur. (Raj)
3. Naresh Singh Panwar Son Of Shri Jagdish Singh Panwar, Resident Of 9, Ambika Cooony, Sanganer, Jaipur.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Afreen D/o Nanhe Khan, Residence of 3274 Navab Ka Chauraha, Muthurwalo Ki Haveli, Ghatgate Jaipur.
3. Ali Nawab S/o Nanhe Khan, Residence of 3274 Navab Ka Chauraha, Muthurwalo Ki Haveli, Ghatgate Jaipur.
4. Mohmad Fage S/o Mohmad Jakir, Residence of 3274 Navab Ka Chauraha, Muthurwalo Ki Haveli, Ghatgate Jaipur.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishwanath Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP with Mr. Shubham Sain, AAAG Mr. Sameer Khan, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

30/10/2026

यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना–प्रताप नगर, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 492/2026

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.31
14:29:14 IST

अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 109(1) बी.एन.एस. को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी/पीडित/आहतगण द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि पक्षकारों के बीच में आपसी स्वैच्छिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, अपराध जघन्य व गंभीर प्रकृति का नहीं है, अतः उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके आधार पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ पुलिस के समक्ष अभियुक्तगण व आहतगण/पीडित/परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

दोनों पक्षों का यह भी संयुक्त निवेदन है कि वास्तव में मामला दुर्घटना का था और उसके बाद सामान्य मारपीट हुई है तथा किसी भी आहत के कोई जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई गई है, कारित चोटें शरीर के मार्मिक भाग पर अथवा प्राणघातक नहीं है।

वर्तमान मामले में अपराध गंभीर व जघन्य प्रकृति का नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अथवा अभियोजन को निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

परिणामतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा याचीगण के विरूद्ध पुलिस थाना–प्रताप नगर, जयपुर शहर

(पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 492/2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में यदि वर्तमान याची/गण के अलावा अन्य कोई अभियुक्त/गण के विरूद्ध विचारण/अनुसंधान शेष है तो वह जारी रहेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

61/DINESH KUMAWAT